फाइल नं0-71-1002(099)/19/2021

15/2023/I/272708/2023

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2023

संशोधन

वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-131/2022/I/250400/2022-71-1002(099)/19/2021, दिनांक 20.12.2022 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज यथा-झांसी, प्रयागराज, कानपुर, बदायूँ, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मेरठ, सहारनपुर, बांदा एवं जालौन तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, एटा, हरदोई, फतेहपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देवरिया, जौनपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, औरैया, गोण्डा, बुलन्दशहर, चन्दौली, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी में लिक्विड आक्सीजन स्टोरेज टैंक (एल0एम0ओ0) की स्थापना हेतु सिविल कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105- 24- वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रति मेडिकल कालेज हेतु रू0 9.62 लाख (जी0एस0टी0 सहित) अर्थात् कुल रू0 355.94 लाख (रू0 9.62x37=355.94) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त शासनादेश में त्रुटिवश मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु धनराशि रू0 9.62 लाख लेखाशीर्षक 4210-03-105-88-02 24-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद से स्वीकृत हो गयी है।

अत: उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20.12.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए लेखाशीर्षक 4210-03-105-88-02 24-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद के स्थान पर ''लेखाशीर्षक 4210-03-105-41-24-वृहत निर्माण कार्य'' पढा व समझा जाए।

उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चि0शि0 एंव प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारीगण।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-झांसी, प्रयागराज, कानपुर, बदायूँ, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मेरठ, सहारनपुर, बांदा एवं जालौन।
6. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, एटा, हरदोई, फतेहपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देवरिया, जौनपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, औरैया, गोण्डा, बुलन्दशहर, चन्दौली, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
9. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
11. आईनॉक्स लि0।
12. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।